प्रकरण संख्या 14/2016 भगवानलाल व अन्य बनाम मिठूलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 मीठूलाल व गहरीलाल ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मरडिगपुरा, पटवार हल्का खरसाण, तहसील वल्लभनगर में आराजी नंबर 3 4, 6, 7 9, 8, 10, 13, 14, 34 कुल किता 8 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो बन्दोबस्त संवत् 1998 में गोपा, घासी पिता हेमराज 2/3, मियाराम, घासी पिता मोती 1/3 अंकित है। उक्त आराजियात को खातेदार गोपा, घासीराम पिता घासी ने अपने जीवनकाल में माफीदार श्री हरीराम से क्रय की। उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा वादीगण का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 9 का है। पक्षकारान इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त संवत् 1998 में गोपा, घासी पिता हेमराज 2/3, मियाराम, घासी पिता मोती 1/3 हिस्सा दर्ज था, परन्तु इसके बाद की जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में बिना किसी अधिकार के उक्त आरायिजात प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गयी, जो वादीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 12 ने बिना किसी अधिकार के 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 13 को बेह कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना विभाजन के ही अपने हिस्से की आराजी में से 2/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दिया। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा 1 प्रतिवादी संख्या 3 से 9 का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का नाम जो गलत दर्ज हो गया है उसे हटाया जावे, क्योंकि वे बिना किसी अधिकार के हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की आरे से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की गयी तथा पक्षकारान की साक्ष्य लेकर दिनांक 13.03.1997	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

को वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 3 4, 6, 7 9, 8, 10, 13, 14, 34 कुल किता 8 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/6 हिस्सा घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का नाम विलोपित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06.04.1998 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.03.1997 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.04.1998 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 13 द्वारा अपील संख्या 253/2000 व 254/2000 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.06.2003 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट के पिता वादीगण के छोटे भाई थे तथा क्या उनका इस भूमि में हिस्सा था तथा विवादित भूमि क्या वास्तव में पक्षकारान द्वारा क्रय की गयी थी अथवा उनकी मौरूसी भूमि थी।

प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 96/2003 दर्ज किया जाकर न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में एक अतिरिक्त तनकी कायम की गयी कि ''आया प्रतिवादी संख्या 10, 11, 13 के पिता वादीगण के छोटे भाई थे तथा उनका क्या इस भूमि में हिस्सा था तथा विवादित भूमि क्या वास्तव में पक्षकारान द्वारा क्रय की गयी थी अथवा उनकी मौरूसी भूमि थी।'' उक्त तनकी पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 29.06.2007 को वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया।

उक्त आराजियात बाबत एक अन्य वाद वर्ष 2008 में मीठूलाल, गेहरीलाल, शान्तिलाल, मोहनलाल, पृथ्वीराज, जगन्नाथ, परसराम, जीतमल, अर्जुनलाल क्रमशः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 14, 15, 16, 17, 20 ने लक्ष्मीचन्द, शंकरलाल, व बसन्ती बाई के विरूद्ध धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मडिंगपुरा, पटवार हल्का ख[illegible] तहसील वल्लभनगर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 3 4, 6, 7 9, 8, 10, 13, 14, 34 कुल किता 8 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 से 4 का क्रमशः 1/12, 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 7 व 8 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 से होती है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त आराजियात का हरिराम पिता गोदड ब्राहमण साकिन बग्गड माफीदार, श्री पृथ्वीराज पिता घासी 1/6, मीठूलाल, गेहरीलाल पिता रंगलाल, शांतिलाल, मोहनलाल पिता तुलसीराम, अर्जुनलाल पिता चम्पालाल साकिन खेरोदा, उमाशंकर पिता हेमराज 1/18 ब्राहमण साकिन खरसाण, भगवानलाल, परसराम, जीतमल पिता जगन्नाथ लोहार साकिन खरसाण, सवा पिता देवा मेघवाल 2/9 साकिन खरसाण अंकित है, जो गलत है। पक्षकारान के पूर्वाधिकारियों ने अच्छी बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए रकबा कमोबेशी का एतराज नहीं रखते हुए 50 वर्ष पूर्व बाहमी तौर से मौके पर भौतिक रूप से विभाजन कर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिस क्रम में वादी संख्या 6, 7, 8 एवं प्रतिवादी संख्या 3 का संयुक्त रूप से एक कुंआ हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी अलग एक कुंआ है। भौतिक स्थिति वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। पक्षकारान के पूर्वाधिकारियों ने भूमि का हस्तान्तरण जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 अनुसार किया हुआ है। अतः वादीगण को जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 के अनुरूप वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त अनुसार विभाजन किया जाकर खाते पृथक–पृथक किये जावे। तत्पश्चात् दिनांक 18.11.2009 को वादीगण द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत कर संशोधित वाद की कलम संख्या 2 अनुसार विभाजन किये जाने तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 11 के मध्य संशोधित वाद की कलम संख्या 3 में वर्णित हिस्से अनुसार कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती बसन्ती बाई द्वारा दिनांक 22.03.2010 को खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

	1 व 2 द्वारा दिनांक दिनांक 28.06.2010 को खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 1 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने एवं वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 20.05.2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिस पर प्रार्थी बंशीलाल ओर से उक्त डिक्री की पालना रोके जाने का निवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2016 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.07.2016 तक पालना स्थगित किये जाने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 157/1985 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.1998 के विरूद्ध भगवानलाल व अन्य द्वारा अपील न्यायालय हाजा में अपील संख्या 11/1999 प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ धारा 96 जा.दी. एवं आदेश 1 नियम 10 जा.दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त धारा 96 जा.दी. एवं आदेश 1 नियम 10 जा.दी के प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 18.04.2002 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश दिनांक 18.04.2002 के विरूद्ध निगरानी मीठूलाल व गेहरीलाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20.10.2009 को अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी। माननीय से पत्रावली न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः अपील संख्या 14/2016 दर्ज रजिस्टर की गयी। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 296/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध अपील संख्या 60/2016 बंशीलाल व रघुनाथसिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों में विवादित आराजियात समान होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2022 से बंशीलाल व रघुनाथसिंह द्वारा अपील संख्या 60/2016 को भगवानलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील नंबर 14/2016 के साथ संयोजित की गयी तथा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश पारित किया गया कि अपील संख्या 14/2016 में पारित निर्णय ही समायोजित अपील संख्या 60/2016 पर प्रभावी होगा। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट श्री भगवानलाल पालीवाल एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री अभिमन्यु जाट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड की उपेक्षा कर आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में हरीराम पिता गोदड़ ब्राहमण माफीदार अंकित है, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मीठूलाल व गेहरीलाल द्वारा विभाजन एवं घोषणा का जो वाद प्रस्तुत किया है, उसमें उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है तथा उनके परोक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 3 से 20 के साथ मिलीभगत के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करा ली है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता माना पिता हरीराम के समय से सिजारे पर काश्त कर रहे हैं, जिसको किसी भी स्थिति में खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट के स्वत्व व हित निहित हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें बिना पक्षकार बनाये प्रत्यर्थी संख्या 1 से 20 ने आपसी मिलीभगत के आधार पर आलोच्य निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी 1984 पेज 111 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण के दादा श्री हरिराम मात्र माफीदार थे, यह भूमि कभी भी उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2033

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested

से 2036 एवं प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में विवादित आराजी नंबर 3 4, 6, 7 9, 8, 10, 13, 14, 34 कुल किता 8 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा भूमि हरिराम पिता गोदड़ ब्राहमण सा. बगड़ माफीदार दर्ज हैं, जिससे प्रकट होता है कि उक्त आराजियात अपीलान्टगण के दादा हरिराम जी के माफी की भूमि थी। न्यायालय हाजा ने भी अपने आदेश दिनांक 18.04.2002 से अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत धारा 96 एवं आदेश 1 नियम 10 स्वीकार करते हुए अपीलान्टगण को प्रकरण में प्रभावित पक्षकार माना है, जिनकी निगरानी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त निगरानी दिनांक 20.10.2009 को अदम हाजरी में खारिज हुई है, जिससे न्यायालय हाजा का उक्त आदेश 18.04.2002 आज भी प्रभाव में है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 157/1985 में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.03.1997 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.08.1998 तत्पश्चात् दिनांक 20.0502016 को पारित निर्णय अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर एवं उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। चूंकि प्रकरण काफी पुराना है अतः प्रकरण में नजदीक की पेशियां देकर प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:02 IST
Reason: SelfAttested